सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक- जी0- 526/2025 दिनांक- 12-07-2025

सेवा में

विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।

विषयः-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियमित चयन की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में शासनदेश संख्या 1042/सत्तर-1-2025 दिनांक 26 जून 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-05 के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियमित चयन की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के परिनियमावली 11.15 से 11.30 तक भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

जिसका विवरण निम्नवत है-

11.15 प्रबन्धतन्त्र सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अध्यापकों को सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर, पूर्णकालिक आधार पर और सम्बद्ध राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतनमान मे चयन-समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त करेगा।

11.16 (1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होगेः-

(क) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो), जो अध्यक्ष होगा,

(ख) सम्बद्ध सम्भाग का सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक।

(ग) किसी उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जिसे कम से कम 10 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(घ) दो विशेषज्ञ, जिन्हें कम से कम 15 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक या उस महाविद्यालय के जिसके लिए चयन किया जा रहा है, समीप स्थित सम्बद्ध महाविद्यालय में संस्कृत विभाग का प्रधान होगा और दूसरा किसी समान या उच्चतर वर्ग के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक या सम्बद्ध विषय का कोई ऐसा सेवानिवृत्त अध्यापक या अन्य विद्वान् व्यक्ति होगा, जो उप-शिक्षा-निदेशक के सम्भाग में निवास करता हो, जिन्हें कुलपति द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के उप-शिक्षा-निदेशक द्वारा तैयार किए गये पैनल में नाम-निदिष्ट किया जायगा।

परन्तु आधुनिक विषयों के लिए, इस प्रकार तैयार किये गये पैनल में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यालय से भी, जो सम्बन्धित उप-शिक्षा-निदेशक के सम्भाग के आसन्न हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते है।

परन्तु यह और कि उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कुलपति ऐसे महाविद्यालयों के, जो उस महाविद्यालय के निकट स्थित हो, जिसके लिए चयन किया जाना है, अध्यापकों और उस महाविद्यालय के, जिसके लिए चयन किया जाना है, निकट निवास करने वाले विद्यावान् व्यक्तियों के अपने द्वारा तैयार किये गये पैनल में से विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट कर सकते है।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न) की नियुक्ति के लिये चयन-समिति में निम्नलिखित होगेः-

(क) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निदिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा;

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य;

(ग) सम्बद्ध जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक;

(घ) दो विशेषज्ञ, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जो उस जिले से, जिसमें महाविद्यालय स्थित हो, भिन्न जिले में समान या उच्चतर वर्ग के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक या प्राचार्य या सम्बद्ध विषय का कोई ऐसा सेवानिवृत अध्यापक या विद्वान् व्यक्ति होगा, जो उप-शिक्षा-निदेशक के सम्भाग में निवास करता हो, जिन्हें कुलपति द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के उप-शिक्षा-निदेशक द्वारा तैयार किये गये पैनल में से नाम-निदिष्ट किया जायगा :

परन्तु आधुनिक विषयों के लिये इस प्रकार तैयार किये गये पैनल में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यालय से भी, जो सम्बन्धित उप-शिक्षा-निदेशक के सम्भाग के आसन्न हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते है :

परन्तु यह और कि उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कुलपति ऐसे महाविद्यालयों के, जो उस महाविद्यालय के निकट स्थित हों, जिसके लिये चयन किया जाना है, अध्यापकों और उक्त महाविद्यालय के निकट निवास करने वाले विद्वान् व्यक्तियों के अपने द्वारा तैयार किये गये पैनल मे से विशेषज्ञ नाम-निदिष्ट कर सकते है।

11.17- चयन-समिति या प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य, यथास्थिति, चयन-समिति या प्रबन्धतन्त्र के अधिवेशन से बाहर चला जायगा, यदि किसी ऐसे अधिवेशन में सदस्य के किसी नातेदार की (जैसा कि धारा 20 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर ऐसे अधिवेशन में विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

11.18- चयन-समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायेगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

11.19- परिनियम 11.18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी चयन-समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी।

11.20- चयन-समिति की सिफारिश और उससे सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र की कार्यवाही गोपनीय होगी।

11.21- किसी ऐसी रिक्ति मे (जो किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के लिए छुट्टी दिये जाने के कारण हुई रिक्ति न हो) जिसके छः मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, नियुक्ति के लिए कोई चयन (कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्र में) जिसका सम्बद्ध राज्य या संघ-क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, विज्ञापन दिये बिना नहीं किया जायगा और विज्ञापन में उस समाचार-पत्र के, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया जाय, निकलने के दिनांक से कम-से-कम तीन सप्ताह का समय सामान्यतः अभ्यर्थियों को दिया जायगा।

11.22 (1) यदि चयन-समिति नियुक्ति के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियों की सिफारिश करे, तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है। जहाँ समिति नामों को अधिमान-क्रम में रखने का विनिश्चय करे, वहाँ यह समझा जायगा कि उसने यह इंगित किया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(2) चयन-समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायगा।

11.23- किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अध्यापक की नियुक्ति की दशा में; यदि प्रबन्धतन्त्र चयन-समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो, तो प्रबन्धतन्त्र ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलपति को निर्दिष्ट करेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

11.24- किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यो या अध्यापकों की समस्त नियुक्तियाँ प्रबन्धतन्त्र द्वारा कुलपति के लिखित अनुमोदन के पश्चात् ही की जायेंगी। कुलपति नियुक्ति से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों और अन्य पत्रादि मँगा सकता है और यदि उसकी राय में इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उस मामले पर पुनः विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए उसे प्रबन्धतन्त्र को वापस कर देगा। कुलपति और प्रबन्धतन्त्र के बीच मतैक्य न होने की स्थिति में वह मामला कार्य-परिषद् को निर्दिष्ट किया जायगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

11.25 स्थायी रिक्तियों में नियुक्त प्रत्येक प्राचार्य और अध्यापक एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

11.26 जब किसी निम्नतर श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालय की श्रेणी को बढ़ाया जाय और उसे उच्चतर श्रेणी में रखा जाय, तो ऐसा महाविद्यालय एक मास के भीतर कुलपति को वर्तमान प्राचार्य और अध्यापकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा और कुलपति के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह वर्तमान प्राचार्य और अध्यापकों को उस उच्चतर श्रेणी में, जिसमें महाविद्यालय रखा गया है, प्राचार्य और अध्यापक के रूप में अनुमोदन करें :

परन्तु यदि वह प्राचार्य या अध्यापक ऐसी उच्चतर श्रेणी के महाविद्यालय के लिए प्राचार्यों या अध्यापकों के लिए परिनियमों या अध्यादेशों में विहित अर्हताएँ या अन्य अपेक्षायें पूरी न करता हो, तो कुलपति प्रबन्धतन्त्र से पद का विज्ञापन करने और नया चयन तथा नियुक्ति करने की अपेक्षा करेगा।

11.27 सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति का अधिवेशन प्रबन्धतन्त्र के प्रधान के आदेश से बुलाया जायगा।

11.28 चयन-समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनाङ्क से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

11.29 अभ्यर्थियों को चयन-समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

11.30 सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन-समिति के सदस्यों का यात्रा तथा दैनिक भत्ता सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायगा।

उपरोक्त के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली में विहित व्यवस्था के अनुसार पूर्व में भी कार्यवाही की जा रही थी एवं वर्तमान व भविष्य में भी भर्ती की प्रक्रिया में परिनियमावली में दिये गये विहित व्यवस्था का पालन किया जायेगा। इस विषय में किसी भी बिन्दु विशेष पर शासन से मार्गदर्शन अपेक्षित नहीं है। कृपया सूचनार्थ।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

संलग्नकः परिनियम खण्ड 11.15 से 11.30 की छायाप्रति संलग्न।

भवदीय

(राकेश कुमार I.A.S.)
कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1-अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2-प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3-निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4-निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
5-आशुलिपिक कुलसचिव।
6-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7-सचिव, उ0प्र0संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ।
8-उप निदेशक(संस्कृत), शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, उ0प्र0।
9-सचिव, उ0प्र0शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0।
10-सिस्टम एनालिस्ट सं0सं0वि0वि0 वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11-प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त स्नातक/स्नाकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
12-संस्कृत शिक्षा अनुभाग-9, उ0प्र0शासन।
13-सहायक कुलसचिव/अधीक्षक (सम्बद्धता)
14-सम्बद्ध पत्रावली।

18/7/2025

(राकेश कुमार I.A.S.)
कुलसचिव